

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-भोपाल

दूरभाष क्रमांक-2730395 Email address deobhopal@gmail.com

क्रमांक 426/भारत निर्वा./2018  
प्रति,

भोपाल दिनांक 29/10/2018

पुलिस अधीक्षक (उत्तर)  
जिला-भोपाल

विषय:-विधानसभा निर्वाचन 2018 निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र के संबंध में।

संदर्भ:-रिटर्निंग आफिसर की हैडबुक के अध्याय पांच की कंडिका 5.8.1


उपरोक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट दिनांक 06.10.2018 द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार नामनिर्देशन पत्रों की प्रस्तुती दिनांक 02.11.2018 से 09.11.2018 तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) संबंधित रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक किये जायेंगे। नामनिर्देशन पत्रों की समीक्षा दिनांक 12.11.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से की जायेगी, दिनांक 14.11.2018 तक अपराह्न 3:00 बजे तक नामनिर्देशन पत्रों की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जायेगे।

जिले की सातो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अधिसूचित रिटर्निंग आफिसर निम्न स्थानों पर नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। नामनिर्देशन पत्रों के प्रस्तुति स्थल पर ही नामनिर्देशन पत्रों की समीक्षा की जायेगी। इसी स्थान पर नामनिर्देशन पत्र की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जायेगे:-

क्र	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम	रिटर्निंग आफिसर की बैठक हेतु नियत स्थान
1	*149 बैरसिया (अजा)	कक्ष क्रमांक 123, कलेक्टर कार्यालय पुराना सचिवालय ए ब्लॉक भोपाल
2	150 भोपाल उत्तर	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, हदयराम नगर वृत्त इंदौर रोड भोपाल
3	151 नरेला	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, गोविंदपुरा वृत्त (पुराना आरटीओ परिसर) भोपाल
4	152 दक्षिण पश्चिम	कक्ष क्रमांक 144 कलेक्टर कार्यालय पुराना सचिवालय ए ब्लॉक भोपाल
5	153 भोपाल मध्य	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी शहर वृत्त भोपाल सिरिन मंजिल इंदौर रोड भोपाल
6	154 गोविंदपुरा	कक्ष क्रमांक 152 कलेक्टर कार्यालय पुराना सचिवालय ए ब्लॉक भोपाल
7	155 हुजूर	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर डी ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल

रिटर्निंग आफिसर की हैडबुक के अध्याय 05 की कंडिका 5.8.1 में दिये निर्देशानुसार अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों को रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में निर्धारित की गई है तथा अभ्यर्थी के साथ आने वाले दस्ते एवं वाहनों की अधिकतम संख्या 03 निर्बंधित किया गया है। 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति होगी।

नामनिर्देशन पत्रों की प्रस्तुती दिनांक से नाम वापसी तक उपरोक्त स्थलों पर पर्याप्त बैरिंगेट्स लगाने एवं सुरक्षा दल नियुक्त करने का कष्ट करें।

  
कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
भोपाल

